भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 951

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ

951. डॉ. नामदेव किरसान:

श्री धर्मबीर सिंहः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा युवाओं में, विशेषकर महाराष्ट्र और हरियाणा में खेलों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान और बनाए गए स्टेडियमों का महाराष्ट्र और हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र और भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में निर्मित किए गए नए स्टेडियमों के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नये स्टेडियमों के निर्माण और मौजूदा स्टेडियमों के नवीनीकरण के लिए निधि आवंटित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश के ग्रामीण और शहरी भागों में खेल अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तथा महाराष्ट्र और हरियाणा सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(i) "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेल संवर्धन स्कीमों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना भी शामिल है, के अंतर्गत आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**आबंटित धनराशि**	**किया गया व्यय (30.06.2024 तक)**
1	2019-20	2000.00	1989.39
2	2020-21	1313.40	1304.12
3	2021-22	1993.00	1748.76
4	2022-23	1907.69	1879.99
5	2023-24	2380.86	2329.35
6	2024-25	2359.42	371.51

(ग) से (च): खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत यह मंत्रालय देश भर में बुनियादी खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधितों को सहायता प्रदान करती है।

इस मंत्रालय में धनराशि का आवंटन स्कीम-वार किया जाता है, राज्य-वार नहीं। अब तक इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 343 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत संस्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****